

क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

सूचना

1. माह अक्टूबर-2026 की बैठक हेतु आवेदन ऑनलाईन समर्पित कर कार्यालय में जमा करने की तिथि- 29.09.2026 से 30.09.2026 (संध्या 04:30 बजे तक)।
आवेदन परिवहन विभाग के वेबसाइट सिटिजन पोर्टल पर ऑनलाईन स्वीकृत किया जायेगा। विभाग द्वारा अधिसूचित मार्ग पर ही आवेदन करेंगे, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। समय - सारणी 24 घंटे (रेलवे की समय सारणी के अनुरूप) के प्रारूप में होनी चाहिए। आवेदन के साथ ऑनलाईन पोर्टल पर प्रविष्ट की गयी समय-सारणी की एक प्रति भी समर्पित करना अनिवार्य है।
(स्थायी, प्रतिहस्ताक्षर, नवीकरण एवं वाहन प्रतिस्थापन)
2. समय सारणी का प्रकाशन -01.10.2026
3. आपत्ति देने की तिथि -03.10.2026 (पू011:00 बजे से अप0 04:30 बजे तक)
4. प्राधिकार की बैठक की तिथि -14.10.2026 (बुधवार) पूर्वाह्न 11:00 बजे से।
नोट :- (1) प्राधिकार में समर्पित किये जाने वाले आवेदन पत्र विभागीय पत्रांक-5518, दिनांक-02.09.2021 एवं 1372, दि0-24.02.2021 में दिये गये निदेश के आलोक में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से अंकित होना एवं आवेदन पत्र का सभी कॉलम भरा हुआ रहना आवश्यक है। साथ ही विभागीय निदेश के आलोक में सभी वांछित कागजातों को जमा करना होगा। आवेदन के साथ अद्यतन तीन वित्तीय वर्षों का आयकर एवं पेशाकर के भुगतान से संबंधित साक्ष्य एवं पैन कार्ड की स्वहस्ताक्षरित प्रति समर्पित करेंगे, अन्यथा आपके आवेदन पत्र पर बैठक में विचार नहीं किया जाएगा।
5. Online समर्पित आवेदन की एक प्रति व विहित प्रपत्र में (टंकित अथवा सुस्पष्ट अक्षरों में) समय सारणी एवं सभी वांछित अद्यतन कागजात, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि के साथ निर्धारित तिथि व समय तक कार्यालय में जमा किया जाना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। सभी वाहन स्वामी आवेदन/आपत्ति निर्धारित समयावधि में पंक्तिबद्ध होकर एवं शांति व्यवस्था को कायम रखते हुए कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
6. आपत्ति के साथ धारित परमिट (समय सारणी सहित) की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। आपत्ति से संबंधित साक्ष्य बैठक में ही उपलब्ध कराना आपत्तिकर्ता की जिम्मेवारी होगी अन्यथा आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक आपत्ति हेतु आपत्ति शुल्क रु0 1000/- (एक हजार रुपये) मात्र जमा करनी होगी।
7. वाहन से संबंधित सभी मान्य कागजात अद्यतन नहीं रहने की स्थिति में आवेदन/आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. आवेदन/आपत्ति जमा करने की अंतिम तिथि को निर्धारित समय के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन/आपत्ति स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
9. आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क एवं परमिट शुल्क दोनों एक ही साथ चालान के रूप में जमा करना होगा। आवेदक अपना ई-मेल एवं मोबाईल नं0 आवेदन पत्र में अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
10. आवेदन पत्र में वर्णित मार्ग सरकार द्वारा अधिसूचित मार्ग के अनुरूप होनी चाहिए। आवेदन पत्र में अधिसूचित मार्ग की सं0 दर्शाना होगा। साथ ही इसकी छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
11. बैठक की कार्यवाही के प्रकाशन के पश्चात् सभी स्वीकृत मामलों के वाहन स्वामी सभी वांछित कागजात 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर जमा कर परमिट प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। तत्पश्चात् वैसे सभी स्वीकृत आवेदन एवं ऑनलाईन किये गये परमिट जिनका उठाव नहीं किया गया है स्वतः अस्वीकृत कर ऑनलाईन से हटा दिया जायेगा।
12. सभी आवेदनकर्ता/आपत्तिकर्ता/विद्वान अधिवक्ता बैठक के एक घंटा पूर्व कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।
13. ऑफलाईन परमिट के आधार पर किये गये आवेदन/आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
14. मुख्य बिन्दु पर दो वाहनों के बीच प्रस्थान समय में कम से कम 05 (पाँच) मिनट एवं मध्य बिन्दु पर 02 (दो) मिनट का समय अंतराल मान्य होगा। आगमन समय पर आपत्ति मान्य नहीं होगा।
15. मुख्य बिन्दु से प्रस्थान के पश्चात् आने वाले पड़ावों का पालन करते हुए 05 मिनट से अधिक का ठहराव मान्य नहीं होगा।

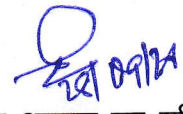
16. किसी भी बिन्दु पर प्रस्थान समय से टकराव की स्थिति में अथवा गति सीमा उल्लंघन की स्थिति में वाहन स्वामी को अगली बैठक में संशोधित समय-सारणी समर्पित करना होगा। अगली बैठक में संशोधित समय-सारणी समर्पित नहीं करने अथवा पुनः किसी भी बिन्दुओं पर किसी अन्य वाहन के प्रस्थान समय से टकराव होने अथवा गतिसीमा उल्लंघन होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
17. आवेदित वाहन/आपत्ति करने वाले वाहन के सभी मान्य कागजात यथा कर, फिटनेस, बीमा एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन होना अनिवार्य होगा। अन्यथा आवेदन/आपत्ति स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदित वाहन/आपत्ति करने वाले वाहन के स्वामी के नाम से निबंधित होना चाहिए।
18. MPPY के मार्ग पर परिचालन हेतु आवेदित वाहन के समय-सारणी पर सामान्य मार्ग पर परिचालित वाहन के परमिट/आवेदित वाहन के समय-सारणी से आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।
19. कोई भी वाहन अपने पूर्ववर्ती वाहन को ओवरटेक नहीं करेंगे।
20. मार्ग संख्या समान रहने पर ही आपत्ति स्वीकार किया जायेगा।
21. बैठक के क्रम में उपरोक्त शर्तों में बदलाव अथवा उनके अलावे कोई अन्य शर्त लागू करने अथवा शर्तों को शिथिल करने का पूर्ण अधिकार प्राधिकार के पास होगा और प्राधिकार का निर्णय ही सर्वोपरि व मान्य होगा।
22. पूर्व से प्राप्त परमिट के समय-सारणी में संशोधन हेतु शुल्क पूर्व की भांति ही प्रति पड़ाव के दर से देय होगा।
23. निर्गत परमिट के प्रारंभ बिन्दु से 05 (पाँच) मिनट आगे एवं पीछे का समय-सारणी एवं मध्य बिन्दु पर 02 (दो) मिनट आगे एवं पीछे का समय-सारणी मान्य होगा।
24. 15 वर्ष से अधिक आयु के अनुरूप प्रतिदिन अधिकतम परिचालन की दूरी 100 किमी० (अप एवं डाउन) को निर्धारित किया जाता है।
25. मार्ग संख्या 3169 बेगूसराय से अगुवानी के समय-सारणी में नन स्टॉप के स्थान पर सभी बिन्दु पर ठहराव सहित समय-सारणी दिया जाना अनिवार्य है।
26. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर से निर्गत परमिट का प्रतिहस्ताक्षर रहने के उपरान्त ही परमिट आवेदन पर आपत्ति स्वीकार्य होगा।
27. सभी स्वीकृत स्थायी परमिट वाहन स्वामी को आदेश दिया जाता है कि पूर्व से निर्गत परमिट प्रत्यार्पित करते हुए अपना स्वीकृत परमिट अद्यतन मान्य कागजातों, वाहन के आगे पीछे भाग के फोटो के साथ एक माह के अन्दर वांछित अधिभार एवं प्रक्रिया शुल्क जमा कर आगामी बैठक से पूर्व निर्गत करवा लें। अन्यथा अगली बैठक में इसे रद्द कर दिया जायेगा। पूर्व से निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आयुक्त-सह-अध्यक्ष के आदेशानुसार


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।

ज्ञापांक -01-01/2025/परि०.....496....., दिनांक 28/09...../2026

प्रतिलिपि -श्री नीरज कुमार, आई०टी० सहायक, आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर।